MR. CHAIRMAN: When did I stop him from speaking? Why is he taking up this attitude? If he wants to speak, he may.

SHRI S. M. BANERJEE: We want each clause to be taken up separately.

MR. CHAIRMAN: Let him speak.

AN HON. MEMBER: What about the half hour discussion?

MR. CHAIRMAN: It will be taken up at 5.30 P.M. Shri Banerjee can begin.

SHRI S. M. BANERJEE: I would like to oppose clause 2..

MR. CHAIRMAN: He can continue tomorrow. After 5 P.M. Shri Banerjee should take some rest.

SHRI S. M. BANERJEE: I rise on a point of personal explanation. I have never cast any aspersion on you. You are one of the most respected persons. After so much work, I feel tired. You are older than me.

17.30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION
REVISION OF PAY-SCALES IN KHADI GRAMODYOG BHAWAN NEW DELHI

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया) : सभापति महोदय, प्रश्न संख्या 3293 के संदर्भ में मंत्री महोदय को वास्तविकता से परिचित नहीं कराया गया था जिससे कि उनका जवाब आधार-रहित और तथ्य-रहित है। पहला प्रश्न था कि क्या खादी भवन के कर्मचारियों को 30 और 40 रुपये बेसिक सेलरी मिल रही है ? आपने कहा कि —नो सर। मेरे पास पन्द्रह आदमियों का नाम है जो कि मैं सभा पटल पर रखने को तैयार हूं जिनको कि 30 से लेकर 35 और 36 रुपये तक की तनख्वाह मिलती है। दूसरा प्रश्न था कि खादी कमीशन के ट्रेडिंग विभाग में सेकेंड पे कमीशन की सारी सुविधाएं उनको दी गई हैं, लेकिन यह भी तथ्य-रहित है। वहां पर डीग्ररनेस पे एलाउंस उनको नहीं नही दिया गया है और सेकेंड पे कमीशन की रिपोर्ट 1963 से लागू है, अब तक यह नहीं दिया गया। खादी कमीशन के अन्दर कमीशन का कहना है कि हमारे यहां दो तरह के कर्मचारी हैं—एक ट्रेड ऐक्टिविटीज़ में और एक रेगुलर। ट्रेड ऐक्टिविटीज में वह कर्मचारी हैं जो कि दौड़-धूप करते हैं, बिक्री करते हैं, रंगाई का काम करते है, उत्पादन के केन्द्रों में जाते हैं और उनकी मेहनत और उनकी कमाई पर खादी भवन कई लाख का फायदा करता है। तो जो काम करने वाले है, जिन के श्रम, जिनकी मेहनत और जिनकी बुद्धि से लाभ होता है उनको कम दिया जा रहा है, उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है और जो लोग कुछ काम नही करते हैं उनको रेगुलर किया गया है। 1963 से सेकेंड पे कमीशन की रेकमेंडेशन लागू है। हमारा कहना है कि जब कि पे स्केल रेगुलर एम्प्लाईज का 30 रुपये से 70 रुपये कर दिया गया तो खादी कमीशन द्वारा उनका स्केल जो ट्रेडिंग ऐक्टिविटी में हैं 30 से बढ़ाकर 70 कर दिया जाना चाहिए और उनको रेगुलर एम्प्लायी मानना चाहिए। साथ ही डीयरनेस पे एलाउंस भी उनको मिलना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि यहां पर आपके खादी भवन में एक ऐडवाइजरी कमेटी बनाई गई है। हमारी सरकार का मंशा है कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में दिया जाना चाहिए, प्रबन्ध समिति में कर्मचारियों को रखा जाना चाहिए। वहां पर एक सवाल आया था कि ऐडवाइजरी कमेटी में कौन-कौन लोग

[श्री चन्द्रिका प्रसाद]

हैं तो उसमे सिर्फ एक नाम आया—युद्धवीर सिंह कोई हैं जो उसके चेयरमैन हैं और बाकी और किसी मेम्बर का नाम नही दिया गया और न कभी उसकी मीटिंग होती है। दुनिया भर के हर एक कामो मे वह बाधा डालती है। कर्मचारियो का कोई प्रतिनिधि उसमे नही है। खादी भवन मे एक बार 21 हजार की चोरी हुई। फर्स्ट मई, 1972 को 21 हजार रुपये गायब हुए, तब से आज तक सोए हुए है तो यह हालत है कि जो मजदूर काम करने वाला है, श्रम करता है, बुद्धि लगाता है उसको तो कोई देखने वाला नही है, उसका कोई ठिकाना नही है, उसे क्लास फोर एम्प्लाई करके रखा गया है। . (व्यवधान) मै. मे खत्म कर रहा हूं।

सभापति महोदय इसमे केवल तीन ही प्वाईट्स हैं। पे स्केल है, डीअरनेस एलाउस है, नान-पेमेट आफ ग्रेच्यूटी है। उसी पर आप बोलिए। ज्यादा आगे मत जाइए।

श्री चन्द्रिका प्रसाद सेकेंड पे कमीशन की बात को ही मै ला रहा था। यहा पर कहा है.

"The Commission has decided to adopt different scales of pay in respect of staff engeged in trading activities but allowances and other benefits are the same as admissible to regular employees of the Commission to whom the recommendations of the Second Pay Commission have been made applicable excsept in the case of contributory provident fund"

तो हमारा वह कहना हैं कि सेकेंड पे कमीशन ने जो कहा है कि अदर बेनीफिट देने हैं वह भी उन को नही दे रहे हैं और ट्रेडिंग ऐक्टि-विटीज मे जो काम करते वाले है उन के स्केल मे तथा रेगुलर जो हैं उनके स्केल में जमीन आसमान का अन्तर है जब कि काम करने वाले वही हैं। तो हमारा यही कहना हैं कि सेकेंड पे कमीशन की रिपोर्ट 1963 से लागू है, उसमे रेगुलर एम्प्लाईज के लिए 30 से 70 रुपये हुआ वह इनको भी मिलना चाहिए और डियरनेस इनको 1963 से मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो करप्शन हैं, भ्रष्टा-चार है, उसके अन्दर जो वर्कर्स का पार्टिसि-पेशन मैनेजमेट मे नही है उसके लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाय जो सारी चीजो की जाच करे, कर्मचारियो को न्याय दिलावे और सेकेंड पे कमीशन की सिफारिशो को इम्प्लीमेट करावे।

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak) I want to seek the following clarifications from the hon Minister Why the Commission has decided to pay different pay scales in respect of the staff engeged in trading activities and why they are not being considered at par with other employees although they belong to the same institutions? What are the difficulties of the Government to treat these employees as regular employees and make their service conditions similar to the other employees of the Commission? These are clarifications that I seek from the hon Minister

डा० लक्ष्मीनारायण पाडेय (मदसौर) सभापति जी, खादी ग्रामोद्योग भवन के या खादी ग्रामोद्योग कमीशन के कर्मचारियो के लिए विभिन्न प्रकार के वेतनमान है, विभिन्न प्रकार की उनकी श्रेणिया है जो मत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर मे स्वय स्वीकार किया है। वहा पर एक तो ट्रेडिंग मे काम करने वाले हैं, दूसरे रेगुलर है। मैं जानना चाहता हू कि खादी ग्रामोद्योग भवन एक व्यापारिक सस्था

है, उनका सारे का सारा कार्य एक ट्रेड है । रेगुलर कर्मचारियो मे और ट्रेडिंग कर्मचारियो मे यह भेद क्यो है ? और रेगुलर को अधिक और ट्रेडिंग मे काम करने वालो को कम वेतनमान दिया जाना कहा तक सगत है ?

दूसरे, क्या यह सही है कि अब तक वहा पर इस प्रकार के कर्मचारी है लगभग 41 जिनकी सख्या है जिन्हे आज भी 30 और 40 रुपये के बीच मे ही वेतन मिलता है ? उनको न्यूनतम वेतन की जो सुविधा मिलनी चाहिए वह नही मिल रही है ।

एक और प्रश्न मै करना चाहूगा कि क्या खादी ग्रामोद्योग भवन के तथा खादी ग्रामोद्योग कमीशन से सबधित कर्मचारियो के लिए क्या वे सभी इडस्ट्रियल लाज लागू है क्योकि यह एक इडस्ट्री है जो इडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए लागू होने चाहिए और वे सभी सुविधाए ग्रेच्युटी, प्राविडेट फड और बोनस इत्यादि की सुविधाए क्या उन्हे मिल रही है और नही मिल रही है तो शासन द्वारा सहायता या अनुदान प्राप्त इस सस्था के अन्दर ये सभी सुविधाए मिले असमानता समाप्त हो इसके बारे से शासन ने कौन से कदम उठाए है और क्या कार्यवाही की है ? आज भी इस सस्थान से सम्बन्धित कर्मचारियो की स्थिति अत्यन्त दयनीय है ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) अपने खादी घर के अन्दर यह गडबड कैसे चल सकती है क्यो कि सारा हमारा मामला ही खादी घर से शुरू हुआ । सवाल यह है कि आज भी क्या वहा के कर्मचारियो को 60 रुपये मासिक वेतन मिलता है ।

एक सदस्य 40 ।

श्री मूलचन्द डागा 40 से शुरू किया है 60 तक मिलता है (व्यवधान) .. 30 भी मिलता है । तो क्या यह न्यूनतम वेतन आज के जमाने मे जीवन निर्वाह के लिए काफी है ?

दूसरा मेरा प्रश्न है कि यह आप के यहा पर ट्रेडिंग स्टाफ कितने अरसे मे रेगुलर काम कर रहा है और फिर भी आप उस को रेगुलर स्टाफ की तुलना मे कम क्यो देते है और उनसे उन को अलग क्या किया हुआ है ?

दूसरी बात यह है कि वेतन आयोग की सिफारिशो के आधार पर आप उन को पगार और अन्य सुविधाए क्यो नही देते है ?

तीसरा सवाल—जो भी वहा पर एल डी सी, यू डी सी की तनख्वाहों मे और रेगुलर स्टाफ की तनख्वाह मे बहुत बडा अन्तर है वह अन्तर कैसे कम किया जा सकता है और यह क्या नही किया जाता है ?

इसके अलावा ट्रेडवाइजरी कमेटी जिस के अन्दर मजदूरो का प्रतिनिधित्व न हो, कर्मचारियो का प्रतिनिधित्व न हो वह कैसे चल सकती है ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : (मुरैना) मैं मत्री महोदय से जानना चाहता हू कि क्या ये जो कर्मचारी काम करते है । इन्होने कोई ज्ञापन आप को दिया है और यदि दिया है तो उस की मुख्य मुख्य मागे क्या हैं ?

दूसरे मैं जानना चाहता हू कि समान वेतन हो आज की महगाई को देखते हुए सारे देश भर मे क्योकि खादी ग्रामोद्योग को आप बहुत बडी मात्रा मे पैसा देते हैं लेकिन हर एक प्रदेश

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

मे वेतन अलग अलग स्तर का है तो सभी प्रदेशो के अन्दर वेतन ठीक प्रकार का हो, समान वतन हो जसे अन्य जगहो मे है, उस के लिए क्या कोई ऐसी पालिसी निश्चित करना चाहते हैं ? यदि कमीशन नही मानता है तो उन को दी जाने वाली जो मदद है उसे आप बन्द करने को तैयार है जब तक वे इस बात को पूरा नही करते है ?

तीसरी बात—यहा दिल्ली का जो खादी भवन है, उस मे प्रशासन व्यवस्था के लिये एक कमेटी बनाई गई था उस मे किसी भी कर्मचारी को नही लिया गया जब कि ऐसा वचन दिया गया था ।

सभापति महोदय आज के सवाल मे यह सवाल नही है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय फिर किस मे आयेगा ।

सभापति महोदय जब भी आये लेकिन इस मे नही है।

श्री हुकम चन्द कछवाय मैं निवेदन कर रहा था कि इस कमेटी मे हर प्रकार की कठिनाई पर विचार करने के लिये किसी भी कर्मचारी को नही लिया गया ।

खादी ग्रामोद्योग कमीशन एक परिवरिश खाना है जिस मे सब से अधिक भ्रष्टाचार और बेईमानी है । केन्द्र सब से अधिक पैसा इस को देती है देश की सारी सम्पत्ति इस मे खत्म होती है लेकिन यहा के जो कर्मचारी है उन को ठीक प्रकार का वेतन नही मिलता । ऐसी स्थिति मे क्या सरकार इस के लिये कोई कदम उठायगी, यदि हां, तो कब तक इस का निर्णय लेगी ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) माननीय सभापति महोदय अभी माननीय सदस्य श्री हुकम चन्द कछवाय के खादी ग्रामोद्योग कमीशन में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन के ऊपर जो आरोप लगाया है, वह सर्वथा निराधार है । खादी ग्रामोद्योग कमीशन के कार्यकर्त्ता बड़ी निष्ठा और कठिन परिस्थितियो मे काम कर रहे हैं

श्री रामावतार शास्त्री : (पटना) इन्होने वहा के व्यवस्थापको के लिये कहा है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : चुनाव मे काम करने वाले वहा घस जाते हैं— वह परवरिश खाता है ।

सभापति महोदय सभी मेम्बरो ने एक एक ही सवाल पूछा है—आप उन की पे के बारे मे कहिये ।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय क्या यह व्यापारिक संस्थान है ? यदि व्यापारिक संस्थान है तो वहा पर दो प्रकार की श्रेणीया क्यो रखी है ? और दो प्रकार के भिन्न वेतनमान है जिससे कारण एक प्रकार के कर्मचारियो को न्यूनतम वेतन भी नही मिलता है ।

श्री रामावतार शास्त्री : मजदूरो के बारे मे कहिये लेकिन प्रबन्धक मजदूर नही हैं

व्यवधान

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद · अभी आपने श्री कछवाय जी को ध्यान से सुना होता तो इस प्रकार की चर्चा नही होती ।

मैं निवेदन कर रहा था कि जहां तक खादी तथा ग्रामोद्योग भवन, दिल्ली का सवाल है, इस में जो कर्मचारी काम करते हैं—प्रश्न उन के वेतन के सम्बन्ध मे था

वेतन-मान के सम्बन्ध मे नही था। उन्होंने पूछा था कि उन का उतना वेतन नही है, जितना कि मैंने प्रश्न के उत्तर मे कहा था वहा जो कर्मचारी काम करते हैं उन को सब मिला कर न्यूनतम 147 रुपये 50 मिलते है . . .

श्री मूलचन्द डागा यह महगाई भत्ता समेत है वेतन नही है। उन का वेतन क्या है ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : उन का मूल वेतन क्या है। इस म महगाई मत जोडिये। उन को इतना कम वेतन मिलता है, कि आप का कुत्ता भी उस म ज्यादा खा जाता है। सभापति महोदय ये सदन को गुमराह कर रहे है महगाई जोड कर बता रहे है, इस से लोगो मे भ्रम फैलेगा।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सभापति जी, मैने आकडे दिये है

श्री हुकम चन्द कछवाय : उन को 40 रुपये से भी कम मूल वेतन मिल रहा है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद यहा पर प्रश्न कुल वेतन का है। यदि प्रश्न वेतन-मान का भी हो तो भी यदि आप मेरी बात सुन लेंगे तो यह प्रश्न पैदा नही होगा। यह सही है कि वहा जो कर्मचारी काम करते है उन का वेतन-मान 30 रुपये 50 पैसे है लेकिन इस के अलावा कर्मचारियो को जो राशि मिलती है वह सब मिला कर न्यूनतम वेतन पूरा पै-पैकट 147 रुपये 50 पैसे होता है।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : जो ट्रेडिंग कर्मचारी माने जाते है, आज उन का भी कम से कम 170 रुपये मिले इस हेतु कौन सी कार्यवाही कर रहे है, ? आज उन्हे बहुत थोडा वेतन मिल रहा है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : आप मेरी बात सुन लीजिये। दूसरी बात जिस की तरफ मैं माननीय सदस्यो का ध्यान आकृष्ठ कराना चाहता हू वह यह है कि खादी कमीशन और खादी भवन दोनो एक ही चीज नही हैं। वहा जो काम करने वाले लोग हैं उन का काम दूसरे ढग का है। खादी भवन एक ऐसी सस्था है जो दूसरी व्यापारिक सस्थाओ से भिन्न है। उन का काम करने का ढग दूसरा है वहा जो कर्मचारी चुने जाते हैं वे दूसरे आधार पर चुने जाते है—इसलिये उन का अलग वेतन-मान है . . .

(व्यवधान) जहा तक खादी कमीशन का सवाल है

श्री अम्बिका प्रसाद : खादी कमीशन मे दो तरह की कैटेगरी बना दी है, वहा भेद-भाव हो रहा है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जहा तक भवन का सवाल है—खादी भवन के कर्मचारियो का वेतन-मान होना चाहिये, इसके लिये खादी कमीशन ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि सदन मे जो चर्चा हुई है और अभी जो परिस्थिति है इन सारी बातो को ध्यान मे रख कर खादी भवन मे जो कर्मचारी काम करते है उन के वेतन-मान के सम्बन्ध मे उपयुक्त और उचित फैसला शीघ्र से शीघ्र किया जायेगा

श्री मूल चन्द डागा सभापति जी, ये प्रश्न का उत्तर नही दे रहे है। ट्रेडिंग स्टाफ और रैगुलर स्टाफ मे फर्क है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जहा तक वेतन आयोग की सिफारिशो का सवाल है— खादी कमीशन एक ऐसी सस्था है जो मुनाफे के लिये काम नही करती है। मुनाफे के लिये काम करने वाली सस्थाओ पर जो नियम लागू होते हैं, वे इस पर लागू नहीं होते हैं।

[श्री सिद्धेश्वर प्रसाद]

आप को पता है कि खादी कमीशन में काम करने वाले लोगों में—जो सब से ज्यादा वेतन दिया जाता है और जो सब से कम वेतन दिया जाता है, उस मे कम से कम फर्क रखने की कोशिश की जाती है.....

श्री रामावतार शास्त्री : क्या फर्क है, कितना फर्क है ?

सभापति महोदय बीच मे इन्टरप्ट मत कीजिये । .

श्री हुकम चन्द कछवाय : आदरणीय सभापति जी, ये जान-बूझ कर सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद इन सब बातों को ध्यान मे रख कर खादी कमीशन ने जो फैसला किया है, उस का उल्लेख मैने अभी किया है —खादी भवन मे काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन मान के बारे मे रिपोर्ट आ चुकी है और इन सारी बातो पर फैसला किया जायगा ।

जहां तक दूसरा प्रश्न उठाया गया है—जिसकी ओर माननीय सदस्यो ने अभी ध्यान आकृष्ट किया है—जब तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट मिलेगी तो हम उम्मीद करते हैं खादी कमीशन उन सारी बातो को ध्यान मे रख कर और माननीय सदस्यों ने जो बातें उठाई हैं, उन को भी ध्यान में रखकर उन सिफारिशों पर भी विचार करेगा । जो चर्चा इस समय उठाई गई है और जो वक्तव्य मैंने दिया है, उस के बाद मै उम्मीद करता हू कि हम एक ऐसा उपयुक्त वातावरण बना सकेंगे जिससे खादी भवन के कर्मचारी सही ढग से और सतुष्ट हो कर काम कर सकेगे । यदि ऐसी कोई और शिकायत माननीय सदस्य हमारे ध्यान मे लायेंगे तो मैं खादी कमीशन से उन पर विचार करने के लिये कहूगा ।

---

17 49½ hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

TWENTY-SECOND REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR) Sir, I beg to present the Twenty-second Report of the Business Advisory Committee

17 50 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 21, 1972/Agrahayana 30, 1894 (Saka).

MGIPND—L—3019 L.S.—1010